न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 22/2018

उनवान

1. खेमराज नागौरा पुत्र प्रभुदयाल नागौरा
2. देवेन्द्र नागौरा पुत्र खेमराज नागौरा समस्त जाति खटीक, निवासी फूलागंज, नसीराबाद
3. इन्द्रजीत सिंह पुत्र गिरधारी लाल जाति कोली निवासी धोलाभाटा, अजमेर।

——वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम्

1. मंगला पुत्र सुजा
2. लालचन्द पुत्र छोगा
3. मंगला पुत्र छोगा **(तर्क)**
4. छगना पुत्र चन्द्रा समस्त जाति भांबी
5. कालू पुत्र मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम नन्दाजी की ढाणी, नान्दला, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, नसीराबाद।

———प्रतिवादीगण :– 6 जरियें राज० पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 183 राज० काश्त० अधि० 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 11.11.21

वदीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण की क्रयशुदा खातेदारी/ काश्तकारी की आराजीयात हाल खसरा संख्या 1237/4364 रकबा 0.68 ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद में अवस्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण ने क्रय की थ जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 512 दिनांक 05.07.2010 द्वारा किया गया। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना देना नही है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को जबरन बेदखल करने हेतु कूट रचना कर रास्ता रोक लिया जबरक कब्जा करने की धमकी दी तथा पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने दिनांक 20.9.17 को गैर कानूनी तरीके से वादीगण की भूमि पर बलपूर्वक हल चलाकर बाडे बना कर कब्जा कर लियाव निर्माण करने पर आमादा हो [illegible] आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया [illegible] वादीगण का कब्जा पुर्नस्थापित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी [illegible]। वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

धारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने से उसका नाम तर्क किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे। वादपत्र का कोई खण्डन नही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई।

वादीगण अधिवक्ता ने प्रकरण में वाद के समर्थन में वादी खेमराज के बयान करवाये तथा राजस्व अभिलेख पेश किये।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अंद्योपांत अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वादीगण अभिभाषक व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादीगण ने अपने वाद के कथनों के समर्थन में जमाबदी प्रस्तुत की जिसमें वादीगण बहेसियत खातेदार दर्ज है। वादीगण के कथन अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना देना नही है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को जबरन बेदखल करने हेतु कूट रचना कर उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया। वादीगण को उक्त आराजी पर हल नही चलाने दिया व बाडे बना लिये है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण वाद के खण्डन हेतु प्रकरण में उपस्थित नही रहे है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे वादीगण के कथनों का खण्डन होता हो। प्रतिवादीगण आज उक्त आराजी पर काबिज है तो किस आधार पर व किस हक से काबिज है यह उनके द्वारा उपस्थित हो कर नही बताया गया है। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादीगण की सह खातेदारी में दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अतिचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 20.09.2017 से बहेसियत अतिक्रमी सिद्ध होते है। जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम नान्दला 1237/4364 रकबा 0.68 की आराजीयात से प्रतिवादी स0 1, 2, 4 व 5 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 4 व 5 को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी स0 1, 2, 4 व 5 को मौके से बेदखल कर वादीगण को आराजी मुतनाजा पर काबिज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

खेमराज बनाम मंगला

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 22/2018
पेश करने की दिनांक – 27.02.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर हीरालाल माली अभिभाषक मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम नान्दला 1237/4364 रकबा 0.68 की आराजीयात से प्रतिवादी स0 1, 2, 4 व 5 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 4 व 5 को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी स0 1, 2, 4 व 5 को मौके से बेदखल कर वादीगण को आराजी मुतनाजा पर काबिज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 11 माह 11 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner